रिव्यू 1297 III/14

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 पुनरावलोकन

श्री [illegible] द्वारा आज दि. 22/5/14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 22-5-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. भागीरथ तिवारी पुत्र श्री प्रभुदयाल तिवारी
2. श्रीमती रा[illegible] देवी पत्नी श्री भागीरथ तिवारी
3. हरीहर पुत्र भागीरथ तिवारी समस्त निवासीगण– जानकी बाग तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0

----आवेदकगण

22/5/14

बनाम

1. मोहन पुत्र सूके जाति काछी मृतक वारिस श्रीमती हरबाई पत्नी स्व0 श्री मोहन काछी
2. बारेलाल पुत्र सूके काछी, दोनो निवासीगण– मामोन दरवाजा टीकमगढ़ म0प्र0
3. गोविन्दसिंह आत्मज पुत्र श्री शिवजराजसिंह सिसौदिया निवासी– ग्राम मातौल, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ म0प्र0
4. म0प्र0 शासन -- अनावेदकगण

<u>पुनरावलोकन (रिव्यू) आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 10/4/2014 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे, सदस्य माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 3287/III/2014</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

(49)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु ~~निगरानी~~ 1297–तीन/14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.1.2015	आवेदक अधिवक्ता के रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3287–तीन/14 में पारित आदेश दिनांक 10–4–14 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । प्रशासकीय सदस्य	